APP
Crll

1-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर .... मुकाम बांदीकुई ....

.... बनाम .... सन् ....

.... नं० ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 22/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
22/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते आदेश दिनांक 6/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
6/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 7 R 11 सी०पी०सी० पर उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा० पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 7 R 11 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 6/12/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487

प्रकरण संख्या :–30 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः– 15.02.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः–06.12.2023

उनवान– बुद्धाराम बनाम मोहरसिंह वगै.
दावा स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा. दी."

निर्णय दिनांक 06.12.2024

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश या कि वादीगण ने प्रतिवादीगण पर जो दावा पेश किया है कतई गलत है निराधार है जो कि खारिज ये जाने योग्य है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी मापदण्डों की जॉच कर सरकारी लागत लगाकर ग्राम सियों के लिये पीने के पानी के लिए बोर लगाई है। जो कि सरकार ने सभी मापदण्डों की जॉच करके ाई गई है। अब चूँकि सरकारी बोर पर विद्युत कनैक्शन के लिये प्रतिवादी सं. 03 ने अपने सभी मापदण्डों पूर्ति करते हुए बिना रास्ते की भूमि को छेडे एक साईड में कोने पर विद्युत पोल लगाया है जिस पर द्युत विभाग द्वारा मय पुलिस इमदाद के डी.पी. रख कर कनैक्शन लगाने के लिए मौके पर गये तो वादीगण उनके परिवारजन ने विरोध किया और डी. पी. को रखने नहीं दिया। वादीगण ने जो दावा पेश किया है सिविल नेचर का है इस न्यायालय को दावे को सुनने का अधिकार नहीं है। दावे का क्षेत्राधिकार सिविल र्ट को है इसलिये दावा खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने अपने दावे में आदेशात्मक निषेधाज्ञा चाही जिसके लिये वादी ने उचित कोर्ट फीस अदा नहीं की है। इसलिये वादी का दावा खारिज किये जाने ग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के दावे को खारिज फरमाये ने की कृपा करे।

वादीगण द्वारा जये वकील जवाब प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया कि नूनन प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सी.पी.सी. की स्टेज पर मात्र वाद पत्र को ही देखा जाना जरूरी है। र्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र महज प्रकरण को देरीना करने के मकसद से पेश किया या है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खाता सं. नया 146 पुराना 140 के आराजी सरा नं. 290, 387, 436, 437, 438, 543, 559, 569, 570, 571, 799 लगायत 805 कुल किता 17 कुल कबा 5.4200 हैक्ट. वाके ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर में स्थित है जो प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि है, ादीगण को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए मार्ग का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण खसरा नंबर 852 र मुमकिन रास्ते में होकर अपनी कृषि भूमि में आते जाते रहे हैं। प्रतिवादीगण रास्ते की भूमि खसरा नं. 52 में जबरन अतिक्रमण करके विद्युत डी. पी. लगाने पर आमादा हो रहे हैं। इस कारण वाद पत्र का वणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 गलत है अस्वीकार है। अतः जवाब ार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम ढिगारिया

४५६—

टप्पाकोलेश्वर खाता सं. नया 1 पुराना 1 के खसरा सं. 852 गै. मु. रास्ते की भूमि है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा सभी मापदण्डों की पूर्ति करते हुए विद्युत पोल लगाया है, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा डी. पी. रखकर कनैक्शन किया जाना है तथा वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. से प्रभावित होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किय होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा आदेश 07 नियम 11 की श्रेणी में आने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

6/12/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई